‘मज़दूर भी इंसान हैं’, सरकार को ये सबक़ हम सिखाकर रहेंगे’

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

‘क्रां’तिकारी मज़दूर मोर्चा’ द्वारा आयोजित, फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त के सम्मुख, 29 मई को होने वाले आक्रोश प्रदर्शन को विफल करने के, मुजेसर पुलिस के अनोखे, दमनकारी हथकंडे के बावजूद, सभा और ज्ञापन का कार्यक्रम, थोड़ी देर से हुआ, लेकिन शानदार हुआ। मुजेसर पुलिस की जानकारी सही थी, कि आज़ाद नगर मज़दूर बस्ती की लगभग सभी महिलाऐं, पूरे जोश-ओ-खरोश से आक्रोश प्रदर्शन के लिए, नगर निगम कार्यालय, बी के चौक जाने वाली हैं। मुजेसर थाना पुलिस ने, लेकिन, उस कार्यक्रम में पलीता लगाने के लिए जो हथकंडा अपनाया, वह घोर जनवाद-विरोधी, संविधान-विरोधी, परोक्ष-दमनकारी था।

सुबह 8 बजे से ही, आज़ाद नगर के मज़दूर, जिनमें महिलाऐं पुरुषों से ज्यादा थीं, प्रदर्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे। तब ही, मुजेसर थाने की एक जिप्सी, प्रमुख चौक पर आकर खड़ी हो गई। 4 पुलिस वाले, बस्ती में चक्कर मारने लगे। एक-दो जगह कुछ युवकों की, कपड़े उठाकर इस तरह तलाशी ली गई, मानो वे किसी खास अपराध के, किसी खास आरोपी को ढूंढ रहे है। ज़ाहिर है, सब लोगों का निश्चय इतना पक्का नहीं होता, कि भले पुलिस कुछ भी कर ले, हम तो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत, विरोध प्रदर्शन में जाएँगे। अन्याय और भेदभाव का दृढ़ता से विरोध करना हमारा कर्तव्य है, और हमें न्याय के रास्ते से कोई नहीं डिगा सकता। पुलिस की ‘बॉडी लैंग्वेज’ भी ऐसी थी, मानो वे सब नोट कर रहे हैं कि कौन-कौन जा रहा है; ‘बाद में बताएंगे’ वाला! अधिकतर लोगों में कार्यक्रम में जाने का उत्साह हल्का पड़ने लगा और भय और आशंका हावी होने लगे। लोग धीरे-धीरे खिसकने शुरू हो गए।

तब ही, पुलिस ने पूरे कार्यक्रम को ही चौपट कर डालने की मंशा से, मोर्चे के अध्यक्ष, कॉमरेड नरेश को हिरासत में ले लिया। कारण पूछा, तो बोले, कुछ नहीं, ‘थोड़ा टहलाकर लाते हैं’!! वही, चिरपरिचित पुलिसिया धक्काशाही। ऐसा वे एक बार पहले भी कर चुके थे, इसलिए तुरंत पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई। कमिश्नर ऑफिस ने मुस्तैदी दिखाई और लगभग दो घंटे बाद, नरेश को छोड़ दिया गया। क्या पुलिस, किसी को भी, कभी भी, बिना वजह बताए, बिना शिकायत, उठा सकती है? क्या बिना घोषणा किए, संविधान का राज ख़त्म किया जा रहा है? क्या पुलिस को, देश के किसी नियम-क़ानून का पालन नहीं करना होता? जो ख़ाकी वर्दी तय करे, वही क़ानून बन जाता है, क्या? ये गंभीर सवाल, जन-मानस और मीडिया में छाए रहे। पुलिस का ये चरित्र, विशुद्ध फ़ासीवादी राज्य जैसा है। इसीलिए, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के नेताओं ने सभा में स्पष्ट किया किया कि मुजेसर पुलिस इस हरक़त से आगे बाज़ आए, वरना पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने को विवश होना पड़ेगा।

कार्यक्रम का अजेंडा वही था, जिसे अब हरियाणा क्या, समूचा उत्तर भारत जान चुका है। 10 महीने बीत गए, जब 11/12 अगस्त की रात, आज़ाद नगर की, 11 वर्षीय मासूम गुड़िया, बस्ती में सार्वजनिक शौचालय ना होने के कारण, शौच के लिए रेल पटरियों के किनारे गई, बे-इन्तेहा हैवानियत की शिकार हुई और मार डाली गई। ऐसी जघन्य घटना घटने, हरियाणा सरकार, फरीदाबाद प्रशासन तथा नगर निगम आयुक्त को बार-बार ज्ञापन/

शिकायत देने के बाद भी, आज़ाद नगर में सार्वजनिक शौचालय, आज भी फाइलों में ही बंद है। आज़ाद नगर में शौचालय होता तो गुड़िया आज जीवित होती। आज भी, आजादनगर की महिलाएं-बच्चियां, रेल पटरियों के किनारे शौच जाने को विवश है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री चीख-चीखकर, सारे देश को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित कर चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री निवास से महज़ 25 किमी की दूरी पर, हजारों लोग अभी भी, शौच के लिए, अपनी जान पर खेलकर, रेल पटरियों के किनारे जाने को मजबूर हैं। महिलाओं को खुले में शौच जाने से अपमानजनक कुछ भी नही। ये देश कैसा विश्वगुरु है, ये कैसा अमृतकाल है, आजादनगर के मज़दूर हैरान हैं।

इसके आलावा, बस्ती में मौजूद ‘चन्द्रिका प्रसाद स्मारक सामुदायिक केंद्र’ बिलकुल खंडहर बन चुका है। बस्ती में एक भी सरकारी स्कूल नहीं। कुछ समाजसेवी लोग, वहाँ मज़दूरों के बच्चों को पढ़ाते है। वह इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है, भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। गुड़िया को न्याय, पुराने शौचालय की मरम्मत, नए शौचालय का निर्माण और सामुदायिक केंद्र की मरम्मत, सफ़ाई और रखरखाव के मुद्दों पर, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा 15 अगस्त, 2022 से लगातार, जन-आंदोलन आयोजित करता आ रहा ह। प्रशासन भी तभी से कहता आ रहा है कि टेंडर हो चुका, काम शुरू होने ही वाला है, लेकिन ज़मीन पर एक फावड़ा भी अभी तक नहीं लगा ह।

सभा को प्रमुख रूप से क्राममो के अध्यक्ष, नरेश और महासचिव, सत्यवीर सिंह ने संबोधित किया। हालाँकि रिम्पी और श्रीमती किरण ने भी विस्तार से अपनी मुसीबत मीडिया को समझाई। सभा के प्रमुख घोषित एजेंडे पर आने से पहले, वक्ताओं ने, 28 मई को जंतर-मंतर पर, देश का गौरव बढ़ाने वाली, बहादुर महिला खिलाड़ियों और उनके समर्थन में आ रही, महिला किसान कार्यकर्ताओं पर हुए, दिल्ली पुलिस के बर्बर हमले की तीखी भर्त्सना की। मोदी सरकार, जिस तरह एक छूटे हुए गुंडे सांसद, बृज भूषण सिंह को बचाने के लिए, एक दम नंगई से, देश के क़ानूनों को पैरों तले कुचल रही है, उस पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया। मोर्चा पहले भी, दो बार, धरना स्थल जाकर, सम्मानित खिलाड़ियों के आंदोलन के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त कर चुका है। महिलाओं के सम्मान की इस लड़ाई में अंत तक, पूरी शिद्दत और ताक़त के साथ, जुड़े रहने के लिए वचनबद्ध है। ‘फ़रीदाबाद जॉइंट ट्रेड यूनियन कौंसिल’ को ये प्रस्ताव दिया जा चुका है कि औद्योगिक नगरी के सभी मज़दूर एक-जुट होकर, मोदी सरकार के फ़ासिस्ट चरित्र के इस मौजूदा घृणित अध्याय के विरुद्ध, सशक्त आंदोलन चलाया जाए।

आज़ाद नगर वाले पूरे प्रकरण में, जो सबसे तक़लीफ़देह सच्चाई उजागर हुई, वह यह है कि प्रशासन और सरकार, मज़दूर को इंसान ही नहीं समझते, वर्ना 10,000 लोगों की बस्ती की शौच की नैसर्गिक ज़रूरत के लिए, पहले 2 पीले डिब्बे और अब 1 नीला डिब्बा भेजने से पहले गंभीरता से सोचते, कि वे क्या कर रहे हैं? निम्न मध्य वर्ग के छोटे से परिवार में भी आजकल दो शौचालय ज़रूर होते है। उस एक डिब्बे को भेजने का मतलब, मज़दूरों को ज़लील करना नहीं तो और क्या है? नगर निगम की ये हरक़त उनकी ये सोच उजागर करती है कि ये इन्सान थोड़े ही हैं, ये तो मज़दूर हैं, इन्हें रोज़ शौच की जाने की क्या ज़रूरत!! महीने में एक बार या कभी किसी तीज-त्यौहार पर शौच चले जाएं वही काफ़ी है!! प्रशासन और सरकार, अपने इस अमानवीय रवैये को जितना जल्दी सुधार ले, उतना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। फ़रीदाबाद के मज़दूर अब ये तय कर चुके हैं कि वे सरकार और प्रशासन को ये सबक़ सिखाकर रहेंगे, कि मज़दूर भी इन्सान हैं।

क्या कहीं ऐसा होता है कि टेंडर जारी हुआ हो, उसमें एक ठेकेदार ने भी भाग ना लिया हो और फाइल वहीं दबकर रह जाए! क्या नगर निगम ने ये जानने की कोशिश की, कि टेंडर पाने के लिए, अधिकारियों से ‘सेटिंग’ करने को मचलने वाले ठेकेदार, इस ठेके में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे? क्या ठेकेदारों के बिलों के भुगतान, बिना लिफ़ाफ़ा आगे सरकाए मिल जाते हैं? क्या टेंडर जारी करने से पहले, अनुमानित क़ीमत सही से आंकी गई थी? ये काम मज़दूर बस्ती का न होकर, सेक्टर 15 में डीसी निवास, जजों के निवास वाले एरिया का होता, तब भी क्या नगर निगम ये ही जवाब देता कि ‘किसी ठेकेदार ने बिड नहीं डाली जी, हम क्या कर सकते हैं’? वहां तो सड़क की खुदाई पहले शुरू हो जाती है, टेंडर की प्रक्रिया बाद में होती रहती है। संविधान की प्रस्तावना में लिखे, "हम भारत के लोग" में तो सब बराबर हैं। वह तो महज़ पढ़ने की बातें हैं, बातों का क्या!!

एक और खास मुद्दे को प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में लाया गया। नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या के अपराध से जघन्य कुछ नहीं होता। पूरे 10 महीने बीत गए, लेकिन हत्यारे-बलात्कारी पकड़े नहीं गए। जाने कितनी और महिलाओं को अपना शिकार बना चुके होंग। साथ ही अपराधी पकड़ा ना जाए, तो लोगों में भय व्याप्त रहता है। इस मामले में, आरोपी पकड़े ना जाने से, पीड़ित विधवा मज़दूर महिला के साथ एक और अन्याय हो रहा ह। गुड़िया की माँ, जो अनुसूचित जाति से हैं, समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली निर्धारित राशि, रु 8.25 लाख की हक़दार हैं, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। साथ ही एफआईआर में ‘एससी-एसटी अन्याय एक्ट’ भी नहीं लगा है, क्योंकि जब तक आरोपी की जाति का पता ना चले, तब तक ये एक्ट नहीं लगता। ये एक्ट तब ही लगता है, जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर, किसी गैर-अनुसिचित जाति का व्यक्ति ज्यादती करता है। क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के अथक प्रयासों और एक स्वयं सेवी संस्था, ‘जस्टिस फॉर कम्युनिटी (जस-कम्यून)’ के वकील संजय के प्रयासों के बाद भी, निर्धारित राशि की आधी, रु 4.12 लाख की रक़म ही अभी तक पीड़ित परिवार को मिल पाई है।

मज़दूर भी इंसान हैं

रिम्पी और रजनी ने भी अपनी मुसीबतें बे-खौफ़ रखीं। ‘अगर आपके बार-बार मोर्चा निकालने और ज्ञापन देने के बाद भी आपकी मांगें ना मानी गईं तो आप क्या करेंगी’, मीडिया द्वारा पूछे गए इस सवाल का ये जवाब आया; ‘बार-बार मोर्चा निकालने से भी अगर शौचालय नहीं बना तो इसी दफ्तर में डेरा डाल देंगे, घेरकर बैठ जाएँगे’। जवाब सुनकर उपस्थित समुदाय, जिसमें नगर निगम में अपने काम के लिए आए, उस वक्त मौजूद सैकड़ों लोग भी शामिल थे, तालियां बजाए बगैर नहीं रह सके।

नगर निगम आयुक्त के अवकाश पर होने के कारण, अतिरिक्त आयुक्त ने, स्थानीय मीडिया, सभा और कार्यालय में उपस्थित जन-समुदाय के समक्ष, भरोसा दिलाया कि नए शौचालय के टेंडर में अब विलम्ब नहीं होगा। पुराने शौचालय और सामुदायिक केंद्र की मरम्मत भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाएगी। देखते हैं उनकी कथनी और करनी समान है या कुछ और।

लाल झंडों, ज़ोरदार नारों के अतिरिक्त, आन्दोलनकारियों द्वारा अपनी कमीज़ों पर लगाई ये तख्तियां, विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं; ‘मज़दूर भी इंसान हैं; हुकूमत को ये बात हम समझाकर रहेंगे’, ‘मज़दूर, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ना जानते हैं’, ‘सभी मज़दूर बस्तियों में शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी’, ‘जिस देश में महिलाओं को खुले में शौच को जाना पड़े, उसके शासकों को डूब मरना चाहिए’, ‘आजाद नगर में शौचालय होता तो हमारी गुडिया जिंदी होती’, ‘मज़दूरों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करो’.

ज़ोरदार नारों और बड़ी तादाद में उपस्थित जन-सरोकार मीडिया को तहे दिल से आभार व्यक्त कर सभा समाप्त हुई।

मांगें:

उच्च अधिकारियों के आश्वासनों के बाद भी, आज़ाद नगर में शौचालय का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा। इस मुद्दे को आयुक्त महोदय स्वयं देखें और वे उस जगह का स्वयं मुआयना करे।

मौजूदा शौचालय जर्जर हो चुका, वहां कभी भी कोई गंभीर हादसा घट सकता है। नया शौचालय बनने के बाद, पुराने को भी ढहाकर फिर से बनाया जाए, तब तक उसकी ठीक से मरम्मत की जाए।

सामुदायिक केंद्र भी 30 साल पहले बना था, जो खंडहर हो चुका ह। बस्ती में स्कूल ना होने के कारण, एक समाज-सेवी संस्था वहां बच्चों को पढ़ाती है। कोई गंभीर हादसा ना हो जाए इसलिए उसकी भी मरम्मत तुरंत की जाए।

बने-बनाए शौचालय के डिब्बे वहां रखना, आज़ाद नगर बस्ती के 10,000 मज़दूरों का क्रूर मखौल बनाना, उन्हें अपमानित करना है। नगर निगम इस हिमाक़त से बाज़ आए।